न्यूज़ टुडे

दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ

ई-मेथनॉल **शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण** जैसे हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों में **उत्सर्जन को कम** करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।

- "हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रकों" से तात्पर्य उन उद्योगों से है, जहां **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना विशेष रूप से कठिन और महंगा** है।

ई-मेथेनॉल (या इलेक्ट्रो-मेथेनॉल) क्या होता है?

- यह एक **निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन** है। इसे **ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर** बनाया जाता है।
- **ई-मेथनॉल के उत्पादन में आमतौर पर तीन प्रमुख चरण शामिल होते हैं:**
  - **ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन:** नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत-अपघटन (Electrolysis) से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है।
  - **CO_2 को कैप्चर करना:** कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को औद्योगिक इकाइयों (जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट्स) से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। इससे स्रोत पर समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है।
  - **मेथनॉल संश्लेषण:** हाइड्रोजन और CO_2 को कैटेलिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे न्यूनतम उपोत्पादों के साथ **मेथनॉल** प्राप्त होता है।
- **लाभ:**
  - इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - यह स्थिर होती है, क्योंकि इसे कमरे के (सामान्य) तापमान और परिवेश के दबाव पर संग्रहीत किया जा सकता है।
  - इसका अन्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **उपयोग:** शिपिंग उद्योग के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण से उत्पन्न **ई-गैसोलीन और ई-केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन** के लिए बेहतर समाधान प्रदान करते हैं।
- **चुनौतियां:** नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मेथनॉल जीवाश्म-आधारित मेथनॉल की तुलना में काफी अधिक महंगा है।

भारत में 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम (नीति आयोग द्वारा)

- **उद्देश्य:** भारत के तेल आयात को कम करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कोयला भंडार और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से मेथनॉल बनाना।
- **मेथनॉल** एक निम्न-कार्बन व हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। इसका उत्पादन **राख की उच्च मात्रा वाले कोयले, कृषि अपशिष्ट, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली CO_2 और प्राकृतिक गैस** से किया जाता है।
- **लाभ:**
  - मेथनॉल के उत्पादन/ उपयोग और संबंधित वितरण सेवाओं के माध्यम से लगभग **5 मिलियन रोजगार** उत्पन्न होंगे।
  - LPG में **20% डाय-मिथाइल ईथर** (DME) का मिश्रण करने से प्रतिवर्ष **6000 करोड़ रुपए की बचत** की जा सकती है। DME वस्तुतः **मेथनॉल** का एक व्युत्पन्न है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124(1)** के अनुसार **भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होंगे।**

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बारे में

- **नियुक्ति: अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति** द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की **नियुक्ति** का प्रावधान करता है।
  - CJI की नियुक्ति में निवर्तमान (सेवानिवृत्त हो रहे) CJI से परामर्श करने तथा **सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करने की परंपरा** का पालन किया जाता है।
  - मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार **केंद्रीय कानून मंत्री** सबसे पहले निवर्तमान CJI से सिफारिश मांगता है। इसके बाद कानून मंत्री इस सिफारिश को प्रधान मंत्री को भेजता है। फिर प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किसे नया CJI नियुक्त किया जाए।
- **कार्यकाल: 65 वर्ष** की आयु तक।
- **शपथ: राष्ट्रपति** द्वारा दिलाई जाती है।
- **प्रथम मुख्य न्यायाधीश: हरिलाल जे. कानिया।**
- **संवीक्षा:** भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005** के अंतर्गत आता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रमुख भूमिकाएं और कर्तव्य

- **प्रशासनिक नियुक्तियां: अनुच्छेद 146** के अनुसार **सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति** करना।
- **वैधानिक नियुक्तियां:** CJI **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण** (NCLAT) जैसे वैधानिक प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए **खोज-सह-चयन-समिति के अध्यक्ष** के रूप में कार्य करता है।
- **मास्टर ऑफ रोस्टर:** यह एक अनन्य अधिकार है, जिसके तहत CJI तय करता है कि कौन-सा केस किस पीठ को दिया जाएगा। यह **प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर 2017 की पुस्तिका** में दर्ज है।
- **अन्य:** राष्ट्रपति को शपथ दिलाना; तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना; सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करना; सुप्रीम कोर्ट की सीट पर निर्णय लेना, आदि।

सिडबी ने 'भारतीय MSME क्षेत्रक को समझना: प्रगति और चुनौतियां' नामक रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में **विनिर्माण, सेवा और व्यापार के 19 क्षेत्रकों में MSMEs के सामने आने वाली निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों को शामिल किया गया है:**

- वित्त की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी को अपनाना, प्रतिस्पर्धा, अनुपालन, बाजार तक पहुंच, अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला और कुशल श्रम की उपलब्धता।

अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) का योगदान

- **सकल मूल्य वर्धन में योगदान:** वित्त वर्ष 2022-23 में 30.1% तक।
- **निर्यात में योगदान:** वित्त वर्ष 2024-25 में 45.79% (मई 2024 तक)।

MSMEs क्षेत्रक के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता:** इसके लिए MSMEs में औपचारीकरण का अभाव, अपर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री, ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, अपेक्षित पारदर्शिता और विनियामक मानदंडों के बावजूद पूंजी बाजार का लाभ उठाने में असमर्थता आदि कारक जिम्मेदार हैं।
- **उच्च प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी अपनाना:** इनके लिए तेजी से विकसित हो रहा व्यावसायिक परिदृश्य और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता एक बड़ी चुनौती है। ऐसा इस कारण, क्योंकि कई MSMEs के पास प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का अभाव है।
- **अन्य:** इसमें जटिल विनियामक व्यवस्था, अपर्याप्त अवसंरचना, सुविधाओं की अस्थिर और महंगी आपूर्ति, कच्चे माल एवं कुशल जनशक्ति का अभाव आदि शामिल हैं।

MSMEs के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणाएं:** इसमें MSMEs का संशोधित वर्गीकरण, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना, क्रेडिट गारंटी को मजबूत करना, स्वच्छ तकनीक विनिर्माण का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन आदि शामिल हैं।
- **MSMEs विकासात्मक योजनाएं:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर नए ऋण मूल्यांकन मॉडल की घोषणा जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी आदि।

MSMEs के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड

श्रेणी	निवेश	वार्षिक टर्नओवर
सूक्ष्म उद्यम	2.5 करोड़ रुपये तक (पहले 1 करोड़ रुपये तक)	10 करोड़ रुपये तक (पहले 5 करोड़ रुपये तक)
लघु उद्यम	25 करोड़ रुपये तक (पहले 10 करोड़ रुपये तक)	100 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये तक)
मध्यम उद्यम	125 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये तक)	500 करोड़ रुपये तक (पहले 250 करोड़ रुपये तक)

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में कम होकर छह साल के निचले स्तर पर पहुंची

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी हालिया **अनंतिम (Provisional) आंकड़ों** के अनुसार, अप्रैल 2025 में **हेडलाइन मुद्रास्फीति दर** में मार्च 2025 की तुलना में **18 बेसिस प्वाइंट की गिरावट** दर्ज की गई।

मुद्रास्फीति पर हालिया आंकड़ों के मुख्य बिंदु

- **अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)-संयुक्त** अप्रैल 2025 में अप्रैल 2024 की तुलना में **3.16%** रहा। यह **जुलाई 2019 के बाद सबसे कम वार्षिक मुद्रास्फीति दर** है।
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के समूह के लिए समय के साथ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई **कीमतों में औसत परिवर्तन** को मापता है।
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त** में शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों का आकलन शामिल होता है।
  - भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना MoSPI के अधीन **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा की जाती है।
  - वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना **2012 को आधार वर्ष मानकर** की जाती है।
- **कोर मुद्रास्फीति:** इसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर **4.1%** हो गई है। हालांकि, यह अब भी भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति लक्ष्य-सीमा के भीतर ही है।

मुद्रास्फीति में गिरावट की वजहें:

- **खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट:** विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कीमतों में तेज गिरावट से खाद्य मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई है। इसी वजह से कीमतों में कमी आई है।
- **गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट: आवास, पान, तम्बाकू और मादक पदार्थों की श्रेणियों** में अप्रैल की तुलना में मार्च में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल में इसमें कमी दर्ज की गई थी।
- **ग्रामीण मुद्रास्फीति:** ग्रामीण क्षेत्रों में **हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति** में उल्लेखनीय **गिरावट** दर्ज की गई। हेडलाइन मुद्रास्फीति दर **मार्च 2025 में 3.25% और अप्रैल 2025 में 2.92%** थी।

प्रमुख शब्दावलियां

- **मुद्रास्फीति:** यह किसी निर्धारित अवधि में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति आम तौर पर एक व्यापक माप है, जैसे कि **कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में जीवन-यापन की लागत में वृद्धि।**
- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** यह उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिनिधि समूह (बास्केट) की कीमतों में बदलाव को दर्शाती है, जिन्हें घरेलू उपभोक्ता खरीदते हैं। इसे **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** के माध्यम से मापा जाता है। CPI में हजारों वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जैसे कि **ईंधन व प्रकाश, आवास, खाद्य पदार्थ एवं पेय,** आदि।
- **कोर मुद्रास्फीति:** यह **हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य पदार्थों और ईंधन को अलग** करके मापी जाती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं।

भारत के महापत्तनों (Major Ports) ने वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले एक दशक की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया

भारतीय पत्तन **माल्ला के हिसाब से लगभग 90% और मूल्य के हिसाब से 70% निर्यात-आयात (EXIM) कार्गो** का प्रबंधन कर रहे हैं। यह देश की **आर्थिक संवृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि** के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

प्रमुख उपलब्धियां

- **कार्गो हैंडलिंग:** महापत्तनों द्वारा **कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज** की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कार्गो हैंडलिंग 819 मिलियन टन थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 855 मिलियन टन हो गई।
- **ऐतिहासिक उपलब्धि: पारादीप पत्तन प्राधिकरण (PPA) और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (DPA),** ऐसे दो महापत्तन हैं, जिन्होंने **पहली बार 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग** के आंकड़े को पार किया है।
- **औसत टर्नअराउंड टाइम (TRT):** यह वित्त वर्ष 2014-15 में **96 घंटे** था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर **49.5 घंटे** रह गया, यानी इसमें **48% का सुधार** हुआ है।
- **आइडल टाइम:** इसमें वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक लगभग **29% की गिरावट** दर्ज की गई है।
- **वित्तीय प्रदर्शन:** कुल आय वित्त वर्ष 2014-15 में **11,760 करोड़ रुपये से दोगुनी से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 24,203 करोड़** हो गई है। इसमें **10 वर्षों में 7.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** दर्ज की गई है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** महापत्तनों पर **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं में निवेश में 3 गुना वृद्धि** देखी गई है।

भारत का पत्तन क्षेत्रक

प्रकार	महापत्तन	गैर-महापत्तन (लघु पत्तन)
संख्या	12 (वधावन और गैलाथिया खाड़ी निर्माणाधीन)	200+
प्रशासनिक नियंत्रण	पोत परिवहन मंत्रालय	राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य सरकार।
कानूनी ढांचा	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908

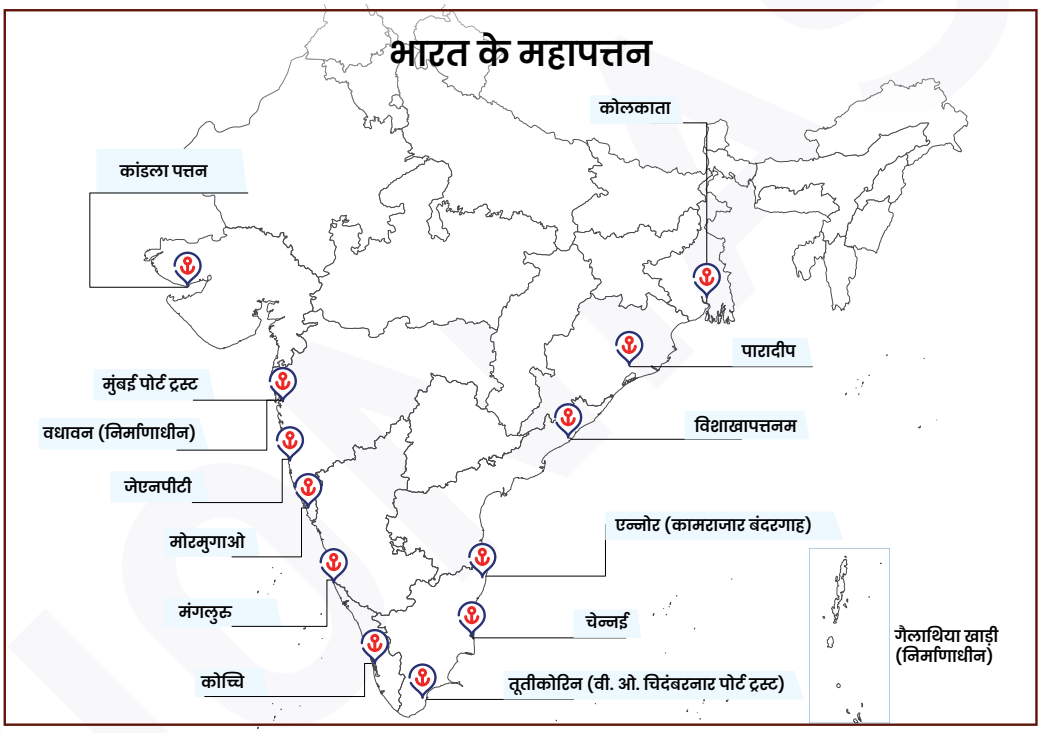

अन्य सुर्ख़ियां

सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009

केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनल '4PM' को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया।

- उपर्युक्त चैनल को **सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009** के तहत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के बारे में:

- **नियम 9 (आपात स्थिति में सूचना को ब्लॉक करना):** इस नियम के तहत कंटेंट बनाने वाले को सुनवाई का अवसर देने का कोई प्रावधान नहीं है।
- **नियम 16:** इसमें कहा गया है कि **प्राप्त सभी अनुरोधों, शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की सख्त गोपनीयता** बनाए रखी जाएगी।
- **मूल अधिकारों का हनन:** यह तर्क दिया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के उपर्युक्त प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'** के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
  - हालांकि, **संविधान के अनुच्छेद 19(2)** के तहत सरकार **देश की सुरक्षा आदि के हित में उपर्युक्त मूल अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान** कर सकती है।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (NaBFID)

NaBFID ने **अपने पहले ऑफशोर बॉण्ड जारी करने की तैयारी में हांगकांग में निवेशकों से भेंट** की। यह एक प्रकार की अनौपचारिक वार्ता थी, जिसका उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं था।

NaBFID के बारे में:

- **स्थापना:** इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित **"राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021"** के तहत **2021** में हुई थी।
- **उद्देश्य:** यह एक विशेषीकृत **विकास वित्तीय संस्थान** (Development Finance Institution) है। **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - अवसंरचना के विकास के लिए **दीर्घकालिक और नॉन-रिकोर्स वित्त-पोषण की कमी** को पूरा करना।
  - भारत में **बॉण्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को मजबूत** बनाना।
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (AIFI) के रूप में, RBI अधिनियम, 1934 के तहत।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने **श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में नया कार्यालय** स्थापित किया।

- इस कार्यालय का उद्देश्य **केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी नौवहन/ परिवहन अवसंरचना** का विकास करना है। **ये तीन राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं:**
  - राष्ट्रीय जलमार्ग-26 (चेनाब नदी);
  - राष्ट्रीय जलमार्ग-49 (झेलम नदी); तथा
  - राष्ट्रीय जलमार्ग-84 (रावी नदी)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बारे में:

- यह एक **वैधानिक संस्था** है। इसे **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित** किया गया है।
- **मंत्रालय:** यह **केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।
- **मुख्य कार्य:** राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) अवसंरचना का विकास, रखरखाव और विनियमन करना।

प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT), 1994 तथा रक्षोपायों पर समझौता (AoS)

भारत ने कहा कि **संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रशुल्क** संबंधी कदम **GATT, 1994 और AoS के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं**।

- **प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)** देशों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य **वस्तुओं के व्यापार में भेदभाव को समाप्त करना तथा टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम** करना है।

रक्षोपायों पर समझौते (AoS) के बारे में

- यह समझौता **GATT 1994 के अनुच्छेद XIX** के अंतर्गत रक्षोपायों के उपयोग के नियमों को निर्धारित करता है।
- रक्षोपाय वे **"आपातकालीन" कदम** होते हैं, जो तब उठाए जाते हैं जब **किसी विशेष उत्पाद के आयात में तेजी से वृद्धि** होती है और यह वृद्धि उस **सदस्य देश के घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान** पहुंचा रही होती है या **नुकसान पहुंचाने की आशंका** होती है।

त्सराप चू (Tsarap Chu)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने **स्पीति घाटी में "त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व"** अधिसूचित किया। यह **भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र** है।

त्सराप चू के बारे में:

- यह **उनाम नदी और चरप नाला** के संगम का क्षेत्र है।
- **सीमाएं:** इस कंजर्वेशन रिजर्व के **उत्तर में लद्दाख केंद्र-शासित** प्रदेश, **पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य** (मलिंग नाला और लुंगर लुंगपा तक विस्तृत), **दक्षिण में कबजीमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य** स्थित है।
- **वन्यजीव: हिम तेंदुआ** (जिसे 'पहाड़ों का भूत'/ Ghost of the mountains भी कहा जाता है)।
- **अन्य प्रजातियां:** तिब्बती भेड़िया, भड़ल (नीली भेड़/ Blue Sheep), हिमालयन आइबेक्स, क्यांग (जंगली गधा), तिब्बती अर्गली आदि।
  - यहां **रोज फिंच, तिब्बती रैवेन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां** भी पाई जाती हैं।

आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 2025

GRID 2025 रिपोर्ट को **आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC)** ने जारी किया।

- **आंतरिक विस्थापन** का अर्थ है, जब लोग किसी कारणवश अपने ही देश के भीतर अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)** वे लोग होते हैं जो संघर्ष, हिंसा या आपदा के कारण अपने घर से पलायन करने को मजबूर होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **2024 के अंत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP):** 83.4 मिलियन। इनमें से **73.5 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा तथा 9.8 मिलियन आपदाओं** के कारण विस्थापित हुए।
  - **दुनिया भर में आपदा से होने वाले विस्थापन का 25%** अकेले **संयुक्त राज्य अमेरिका** में दर्ज किया गया।
- **भारत:** संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापन (1,700) तथा आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन (5.4 मिलियन)।

BB84 प्रोटोकॉल

दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने ड्रोन आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) सिस्टम्स विकसित** करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। सिस्टम्स के विकास में **डिकॉय-आधारित BB84 प्रोटोकॉल** का उपयोग किया जाएगा।

- QKD डेटा की **निर्विवाद सुरक्षा** सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह **क्वांटम यांत्रिकी** के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पारंपरिक क्रिप्टो सिस्टम की तरह केवल गणितीय एल्गोरिदम की जटिलता पर निर्भर नहीं करती है।

BB84 प्रोटोकॉल के बारे में

- यह पहला **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल** है। इसे **1984 में चार्ल्स बेनेट और जाइल्स ब्रासर्ड** ने प्रस्तावित किया था।
- इसमें भौतिक इकाई के रूप में **फोटॉन्स के ध्रुवीकरण की अवस्थाओं का उपयोग कर दो उपयोगकर्ताओं के बीच सिक्योरिटी बिट स्ट्रिंग** बनाई जाती है।

टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE)

600 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर देखी गई घटना **"AT2024tvd" अब तक कैप्चर की गई पहली ऑफसेट TDE** है।

TDE के बारे में

- यह एक **विनाशकारी खगोलीय परिघटना** है, जिसमें एक **विशाल ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को निगल** लिया जाता है। इससे **तीव्र विकिरण की चमक उत्पन्न** होती है।
- ऐसा तब होता है, जब कोई **तारा ब्लैक होल के बहुत करीब** पहुंच जाता है।
- इस परिघटना में **गुरुत्वाकर्षण बल** से इतना तीव्र ज्वार उत्पन्न होता है, जो **तारे को विखंडित करके गैस की धारा में बदल** देता है।
  - इस धारा का **पिछला हिस्सा प्रणाली** से बाहर निकल जाता है, जबकि अगला हिस्सा **घूमकर ब्लैक होल के चारों ओर एक घेरा** बना लेता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)

राष्ट्रपति ने **पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि** अर्पित की।

फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में

- वे एक प्रतिष्ठित **वकील, राजनीतिज्ञ और भारत के 5वें राष्ट्रपति (1974 से 1977 में अपनी मृत्यु तक)** थे।

प्रमुख योगदान

- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम:** वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** में शामिल हुए थे। वे **महात्मा गांधी के कट्टर** अनुयायी थे। उन्होंने **व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था, जिसके चलते उन्हें **1942** में गिरफ्तार कर लिया गया था।
- **स्वतंत्रता के बाद:** 1952 में राज्य सभा और 1967 में लोक सभा के लिए चुने गए थे।
  - **खाद्य व कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून** जैसे पोर्टफोलियो का कार्यभार संभाला था।
- **राष्ट्रपति के रूप में:** 1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करने के फैसले के लिए जाने जाते हैं।
- **प्रमुख मूल्य:** देशभक्ति, नेतृत्व, समर्पण, संविधानवाद आदि।